Fish deaths in Periyar River

3394. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether fish deaths in Periyar river have been reported on account of water pollution;

(b) if so, the action taken against the firms polluting the water; and

(c) the action proposed to clean the river from pollution and save marine fishery?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AN FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) Yes, Sir. Fish kill was observed in the Edamula Branch of the Periyar river and the stretch from Mulavukadu to Eloor on 11th June, 1998. Evidences gathered indicate that the Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (Petrochemical Division) (FACT-PD) had caused the incident by letting out untreated effluent into the river through storm water drains.

(b) The FACT-PD was served show cause notices on 15-6-98 and 22-6-98 by the Kerala State Pollution Control Board (KSPCB). As the explanations to the Show-Cause Notices submitted by the industry were not satisfactory, KSPCB has decided to prosecute the industry, its occupier and its authorised agent.

(c) KSPCB has given instructions to all the industries in the locality to comply with the consent conditions on effluent quality, quantity and discharge points. These are inspected by the KSPCB staff regularly. KSPCB has also decided to install continous water quality monitoring and warning system on the river.

National Forestry Policy

3395. SHRI DEBABRATA BISWAS: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any National Forest Policy in operation as on date;

(b) if so, the details thereof and since when the policy is in operation;

(c) the extent of implementation of the aforesaid policy since the date of its formulation to date; and

(d) if the reply to part (a) be in the negative, when a National Forest Policy is likely to be introduced and whether the interests of Scheduled Tribes and tribal areas and the requirements of rural development would be taken into consideration before formulating the new National Forest Policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST (SHRI BABULAL MARANDI): (a) Yes, Sir.

(b) The National Forest Policy, 1988 is under implementation since 7th December, 1988. The principal aim of the National Forest Policy is to ensure environmental stability and maintenance of ecological balance by conserving the natural heritage of the country with the active involvement of the people including women.

(c) It is being implemented throughout the country by State Governments.

(d) Does not arise.

सांघी समूह से सीमेन्ट संयंत्र को स्वीकृति प्रदान करने में हो रहा विलम्ब

3396. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में सांघी औद्योगिक समूह द्वारा सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय अध्यादेश के अंतर्गत तटीय विनियमन जोन (सी०आर०जेड०) अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण इस समूह को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संयंत्र के कार्यान्वयन में हो रहे विलम्ब के कारणों को सुनिश्चित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करने में उनके मंत्रालय की भूमिका क्या है; और

(घ) उक्त संयंत्र को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (घ) मंत्रालय ने मैसर्स सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गुजरात के कच्छ जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 1995 के अपने पत्र के तहत छूट प्रदान कर दी है। सीमेंट संयंत्र के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र अनुमति अपेक्षित नहीं है। यह पता चला है कि सीमेंट संयंत्र का लगभग 85% निर्माण पूरा हो चुका है।

ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी

3397. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी से, परियोजनाओं को स्वीकृति और उनके निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को सरल बनाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको स्वीकार करने के संबंध में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की प्रतिक्रिया क्या थी; और

(घ) क्या ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ने भारत द्वारा अग्रेषित कतिपय सुझावों को भी अमल में लाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) से (घ) जी, हां। नई दिल्ली में 1 से 3 अप्रैल, 1998 को आयोजित विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) असेम्बली की पहली बैठक के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे:

(1) नवीन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में परियोजनाओं के निधिकरण के लिए जी ई एफ क्रियाविधि काफी लचीली होनी चाहिए।

(2) भूमण्डलीय लाभों के संदर्भ में विशेषकर जैव विविधता संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के लिए सम्मत पूर्ण संवृद्धि लागत (एग्रीड फुल इंक्रीमेंटल कास्ट) के परिकलन को सरल, लचीला और व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए।

(3) परियोजना अनुमोदन की मौजूदा लम्बी प्रक्रिया को, प्राधिकार प्रत्यायोजन के साथ-साथ सरल बनाने की आवश्यकता है।

(4) विश्व पर्यावरण सुविधा की प्रचालनात्मक नीति को अधिक लचीली बनाया जाना चाहिए, विश्व पर्यावरण सुविधा निधि आसानी से प्राप्त हो सके तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

विश्व का पर्यावरण सुविधा असेम्बली की बैठक के दौरान भारत द्वारा दिए गए सुझावों का, भाग लेने वाले अन्य विकासशील देशों द्वारा समर्थन किया गया। जीईएफ द्वारा इन सुझावों का स्वागत किया गया और कुल मिलाकर उन्हें मान लिया गया। जिन्हें असेम्बली की बैठक के अंत में अंगीकृत नई दिल्ली वक्तव्य (विवरण के रूप में प्रति संलग्न) में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

विवरण

अप्रैल 3, 1998

प्रथम ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एसेम्बली का नई दिल्ली वक्तव्य

ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की सभा 1—3 अप्रैल, 98 तक पहली बार नई दिल्ली में होकर,

सभा की मेजबानी उदारता, अतिथि-सरकार तथा सभी प्रतिभागियों के लिए किए गए उत्कृष्ट प्रबंधों के लिए भारत की सरकार तथा लोगों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए,

इस सभा में प्रतिभागी देशों के ग्लोबल इनवायरमेंट फैसिलिटी के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए,

यह मानते हुए कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी नए तथा अतिरिक्त अनुदान तथा छूट राशि प्रदान करवाकर सतत विकास के ढांचे के भीतर, विश्व पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने वाली, बहुपक्षीय निधिकरण यांत्रिकी है,